5 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल( ) की द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त।

5 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल (न.के.अं.-का.ब) की द्वितीय बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक के सहभागियों की सूची संलग्नक -1 में दी गई है।

आरंभ में, अध्यक्ष ने न.के.अं.-का.ब के सदस्यों और बैठक के अन्य सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया। अपने आरंभिक भाषण में अध्यक्ष ने कहा कि कार्यबल की प्रथम बैठक 23 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुई थी। प्रथम बैठक में विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के बाद हमने कार्यबल के संचालन हेतु कार्य प्रणाली, कार्यात्मक आवश्यकताओं, कार्यबल के लिए आवश्यक सशक्तिकरण पर विचार किया और तदनुसार इसकी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए रा.ज.वि.अ. ने मंत्रालय को सूचित किया। हम मंत्रालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने मुख्य रूप से कार्यकारी मानवशक्ति पर बल दिया था ताकि भिन्न प्रकार के अध्ययन आयोजित किए जा सके। इस अतिरिक्त जिम्मेदारी का भार वहन करने के लिए रा.ज.वि.अ. के पास पर्याप्त श्रमशक्ति मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ प्रगति हुई जिसके परिणामस्वरूप अब लगभग छह महीनों के बाद द्वितीय बैठक आयोजित हो रही है। इसके अलावा, कार्यबल के अध्यक्ष ने बताया कि न.के.अं.-का.ब का मुख्य उद्देश्य है पणधारी राज्यों को राजी कराना और उनके मध्य न.के.अं. की परियोजनाओं पर मतैक्यता हासिल करना। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि मतैक्यता हासिल करने की जिम्मेदारी किसे निभानी चाहिए। फिलहाल, ज.सं., न.वि और गं.सं.मं मतैक्यता निर्माण प्रक्रिया और राज्य सरकारों के साथ अधिकारी तथा सरकारी/ राजनैतिक स्तरों पर बैठक आयोजित करने और उनके समक्ष भिन्न न.के.अं. की परियोजनाओं का विकल्प प्रस्तुत करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि कार्यबल को न.के.अं. की परियोजना के कार्यान्वयन के लक्ष्य को पाने के लिए रणनीतियों पर काम करना चाहिए और साथ हीं मतैक्यता निर्माण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध भिन्न विकल्पों पर भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉडल कार्यान्वयन अभिकरण सहित न.के.अं. की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर स्पष्टता की जरूरत है।

उसके बाद, कार्यबल के अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और कार्यबल के सदस्य-सचिव से एजेंडा मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया।

मुद्दा संख्या 2.1: न.के.अं. की परियोजना के प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि दिनांकित 5 मई, 2015 पत्र के माध्यम से न.के.अं.-का.ब की प्रथम बैठक की कार्यवृत्त संचालित की गई थी और कार्यबल के किसी भी सदस्य के तरफ से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी। अतः, संचालन के अनुसार नदियों को जोड़ने पर कार्यबल द्वारा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

मुद्दा संख्या 2.2: प्रथम बैठक के दौरान न.के.अं. की परियोजना के कार्यबल द्वारा दिए गए सुझावों तथा संस्तुतियों पर अनुवर्ती कार्यवाही

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि:

(i) न.के.अं.-कार्यबल के विचारणीय विषय संख्या II में संशोधन के संबंध में, दिनांकित 12 जून, 2015 के पत्र के माध्यम से ज.सं., न.वि और गं.सं.मं ने सूचित किया कि न.के.अं.-का.ब के विचारणीय विषय इतने व्यापक हैं कि ये न.के.अं.-का.ब के सिफारिशों को समायोजित कर सकते हैं, अर्थात “रा.प.यो का प्रस्ताव व्यवहार्य न

होने के मामले में वैकल्पिक योजना पर विचार करना" के बदले "रा.प.यो के लिंक प्रस्तावों को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए लिंक में संशोधन/ उपांतीय परिवर्तनों पर विचार करना" किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि रा.प.यो का प्रस्ताव व्यवहार्य न होने के मामले में कार्यबल को वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करने का अधिदेश दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पणधारी राज्य अपना अवलोकन/ सुझाव/ वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अब तक कार्यबल को ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय के तरफ से ऐसी कोई जवाब नहीं मिली है। जब तक कार्यबल को प्रत्यक्ष रूप से या मंत्रालय द्वारा पणधारी राज्यों का दृष्टिकोण सूचित नहीं किया जाता है, तब तक कार्यबल के पक्ष में वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करना/ सुझाव देना संभव नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पणधारी राज्यों के साथ कार्यबल के प्रत्यक्ष वार्तालाप के लिए एक प्रकार का तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि न.के.अं. के प्रस्तावों के संबंध में पणधारी राज्यों का दृष्टिकोण जाना जा सके। रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि न.के.अं. की परियोजना के विशेष समिति के बैठक के दौरान और ज.सं., न.वि और गं.सं.मं/ रा.ज.वि.अ. द्वारा महानदी-गोदावरी और संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक पर प्रस्तुतीकरण प्रदान करते समय कुछ राज्यों के दृष्टिकोण सूचित किए गए हैं।

के.ज.आ के अध्यक्ष के राय में विचारणीय विषय II के प्रस्तावित परिवर्तन, अर्थात रा.प.यो के प्रस्तावों को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए प्रस्तावों में उपांतीय संसोधन/ मुद्दों पर विचार करना – में रा.प.यो की प्रकृति के परिरक्षण की क्षमता है जबकि वास्तविक विचारणीय विषय में रा.प.यो के प्रकृति को बदलने की क्षमता होगी।

डॉ प्रोदिप्तो घोष ने कहा कि यदि कार्यबल इस बात पर विचार करता है कि जब तक वैकल्पिक योजना सीमांत समायोजन से अधिक नहीं होता, इस संबंध में तब तक बिना किसी असुविधा के कार्यबल ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के निर्णय को स्वीकार कर सकता है।

कार्यबल के अध्यक्ष ने उनके अवलोकन से सहमति जताई। अतः यह निर्णय लिया गया था कि न.के.अं.-का.ब के विचारणीय विषय-II में परिवर्तन पर जोर नहीं दिया जाएगा।

(ii) न.के.अं.-का.ब में विशेषज्ञों को सहयोजित करने के संबंध में दिनांकित 31 अगस्त, 2015 पत्र के माध्यम से ज.सं., न.वि और गं.सं.मं ने न.के.अं.-का.ब में अतिरिक्त सदस्यों के सहयोजन पर विधिवत अनुमोदन प्रदान करने के बारे में सूचित किया था। अध्यक्ष, न.के.अं.-का.ब के अध्यक्ष के परामर्श से सहयोजित सदस्यों के नाम पर फैसला लिया जाएगा।

का.ब के अध्यक्ष ने सूचित किया कि 'अर्थव्यवस्था' और 'सामाजिक विज्ञान' के क्षेत्रों के विशेषज्ञों का चयन ज़ारी है और जो शीघ्र हीं पूरा हो जाएगा। डॉ प्रोदिप्तो घोष ने बताया कि हिमालयी अवयव के कुछ लिंक परियोजनाओं में पड़ोसी देशों में स्थित जलाशय शामिल हैं। अतः, उन्होंने एक विदेश नीति विशेषज्ञ (वरिष्ठ सेवा-निवृत्त विदेश सेवा अधिकारी) को सम्मिलित करने का सुझाव दिया, जो न.के.अं. की परियोजना में सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालते समय, जब और जहाँ आवश्यक होने पर कार्यबल को सलाह दे सकता है। कार्यबल के अध्यक्ष ने सहमति जताई कि पड़ोसी देशों को शामिल करते नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के समय जब और जहाँ आवश्यक होने पर एक विदेश नीति विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा।

(iii) अध्यक्ष, का.ब को उचित दर्जा देने के संबंध में रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि ज.सं., न.वि और गं.सं.मं में कार्यबल के अध्यक्ष को उचित दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय सशक्तिकरण के

संबंध में, रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के समक्ष एक एजेंडा मुद्दे के रूप में रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक को सलाहकारों इत्यादि को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करने का एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस विषय में, अध्यक्ष ने कहा कि यह मुद्दा पिछले चार महीनों से लम्बित है।

श्री ए.डी मोहिले ने बताया कि यदि कार्यबल को राज्यों के साथ समझौता करना होता तो कार्यबल को इस सशक्तिकरण की आवश्यकता होती। लेकिन जब कार्यबल को शामिल किए बिना ही यह भूमिका प्रत्यक्ष रूप से ज.सं., न.वि और गं.सं.मं द्वारा निभाई जाएगी, तो तब तो कार्यबल का एक महत्वपूर्ण कार्य अनावश्यक हो गया है। उन्होंने न.के.अं. की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौते पर ज.सं., न.वि और गं.सं.मं द्वारा अपनाए जाने वाले कार्य तंत्र के बारे में भी सवाल किया था। रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि जब भी माननीय मंत्री किसी विशेष राज्य के दौरे पर जाएंगी, वे वहाँ के मुख्य मंत्री और/ या जल संसाधन/ राज्य के सिंचाई मंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगी। इसके अलावा, महानदी-गोदावरी लिंक के संबंध में ओडिशा के मुख्य मंत्री सहित ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ और संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक प्रणाली के संबंध में पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ (ज.सं., न.वि और गं.सं.मं) के विशेष सचिव के स्तर पर बैठकें/ चर्चा आयोजित हुई हैं।

डॉ प्रोदिप्तो घोष के राय में एक बार माननीय मंत्री (ज.सं., न.वि और गं.सं.मं) के हाथों में कार्यबल की रिपोर्ट आ जाने पर, न.के.अं. की परियोजनाओं की चर्चा के लिए संबंधी राज्यों के अधिकारियों से माननीय मंत्री (ज.सं., न.वि और गं.सं.मं) की मुलाकात अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। कार्यबल की रिपोर्ट में न.के.अं. की परियोजना से प्रत्येक राज्य को होने वाले लाभ या हानि का विशेष विवरण होना चाहिए और साथ हीं संबंधी राज्यों को प्रस्तावित किया जा सकने वाला वैकल्पिक योजना भी होना चाहिए। इन विवरणों सहित, माननीय मंत्री (ज.सं., न.वि और गं.सं.मं) प्रभावकारी रूप से संबंधी राज्यों के माननीय मुख्य मंत्री/ सिंचाई मंत्री के साथ चर्चा आयोजित कर पाएंगी।

अध्यक्ष, कार्यबल ने इस बात पर सहमति जताई कि माननीय मंत्री जी के स्तर पर चर्चा आयोजन के लिए कार्यबल को उचित आधार तैयार करना होगा।

(iv) न.के.अं.-का.ब के लिए अलग सचिवालय स्थापित करने के संबंध में, ज.सं., न.वि और गं.सं.मं ने सूचित किया था कि कार्य बल सचिवालय के लिए मानवशक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ती रा.ज.वि.अ. करेगी और कार्यों के बाह्यश्रोतन और सलाहकारों के रूप में विशेषज्ञों की नियुक्ति के मामले में रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय द्वारा रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक को अधिकार प्रदान किए जाने में मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं थी। मंत्रालय ने सलाहकारों के रूप में 12 सदस्यों के नियुक्ति पर स्वीकृति प्रदान की है। रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि रा.ज.वि.अ. ने न.के.अं. की परियोजना के विशेष समिति/ उप-समितियों/ न.के.अं.-का.ब के सचिवालय कार्यालय के लिए न.दि.न.प से पालिका भवन में 4800 वर्ग फीट क्षेत्र किराए पर लिया है और आवश्यक नवीनीकरण कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

(v) न.के.अं. की परियोजना की विशेष समिति और इसकी उप-समितियों और कार्य बल के वित्त के संबंध में, दिनांकित 20 जुलाई, 2015 के पत्र के माध्यम से ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय ने सूचित किया है कि कार्य बल, न.के.अं. की परियोजना की विशेष समिति और इसकी उप-समितियों पर व्ययों के प्रति रा.ज.वि.अ. के

प्रस्ताव को नदी जलाशय प्रबंधन के ईऍफ़सी मेमो के रा.ज.वि.अ. अवयव में शामिल किया गया है और उसमे इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त प्रावधान रखा गया है।

(vi) कार्यबल के गैर-अधिकारी सदस्यों के वित्तीय विचारणीय विषय के संबंध में, दिनांकित 28 सितम्बर, 2015 के पत्र के माध्यम से ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय ने कार्यबल के गैर-अधिकारी सदस्यों के लिए नियम तथा शर्त प्रदान किया है।

के.ज.आ के अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा भत्ता प्राप्ति के संबंध में सरकारी सेवाओं से सेवा-निवृत्त गैर-अधिकारी सदस्यों और निजी गैर-अधिकारी सदस्यों के योग्यता में भिन्नता है। इस मुद्दे को ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के विशेष सचिव ने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

मुद्दा संख्या 2.3: कार्य बल, न.के.अं. की परियोजना के विशेष समिति और इसकी उप-समितियों के कार्यों के निष्पादन हेतु सलाहकारों की नियुक्ति

रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय के सचिव ने न.के.अं. की परियोजना की विशेष समिति और इसकी उप-समितियों और कार्यबल के कार्यों में सहायता हेतु 12 सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 6, मध्य स्तर पर 4 और कनिष्ठ स्तर पर 2) के नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार किया है। हाल ही में रा.ज.वि.अ. ने छह सलाहकारों को नियुक्त किया है, वरिष्ठ स्तर पर 5, कनिष्ठ स्तर पर 1। ये सलाहकार न.के.अं..प.वि.स, इसकी उप-समितियों और कार्यबल के लिए काम कर रहे हैं।

समिति ने इस जानकारी को नोट किया।

मुद्दा संख्या 2.4: नदी ग्रिड का लिए नीतिगत तैयारी

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि नीति आयोग के अनुरोध पर कार्य बल के बैठक के एजेंडा के रूप में इस मुद्दे को शामिल किया गया था। श्री जीतेन्द्र कुमार, सलाहकार, नीति आयोग ने कहा कि मई, 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि नीति आयोग को अगले 3 से 5 वर्षों की नदी ग्रिड का नीतिगत विकास करना होगा। क्योंकि न.के.अं.-का.ब भी लगभग समान विचारणीय विषयों पर नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम पर काम कर रहा है, नीति आयोग के सलाहकार ने नदी ग्रिड की दिशा-निर्देशिका के विकास के रणनीतियों पर काम करने के लिए कार्यबल से सलाह प्रदान करने का अनुरोध किया।

कार्यबल के अध्यक्ष ने कहा कि जब प.प्र.का ने यह निर्णय लिया है कि नीति आयोग को नदी ग्रिड का दिशा-निर्देशिका बनाना होगा, तो ज.सं., न.वि और गं.सं.मं और न ही नीति आयोग इस निर्णय के खिलाफ जा सकता है। कार्यबल के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि न.के.अं.-का.ब के विचारणीय विषयों का उद्धरण करते हुए नीति को यह मसला प.प्र.का के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। श्री घोष जी ने सुझाव दिया कि नीति आयोग को सर्वप्रथम ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के साथ इस मुद्दे पर मंत्रणा करना चाहिए और उसके बाद ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के सहमति से प.प्र.का के समक्ष जाना चाहिए।

कार्यबल के सदस्यों ने तैयार किए जाने वाले दिशा-निर्देशिका का विशेष उद्देश्य जानने की इच्छा प्रकट की कि क्या यह पेय जल, नौपरिवहन या सभी उद्देश्यों हेतु है। नीति आयोग के सलाहकार ने स्पष्ट किया कि यह संरचना विकास के सन्दर्भ में है और विशेष रूप से न.के.अं. के परियोजना के संबंध में है। कार्यबल के अध्यक्ष ने बताया कि तीन नदी लिंक

परियोजनाओं, अर्थात केन-बेतवा लिंक, दमनगंगा-पिंजल लिंक और पार-तापी-नर्मदा लिंक की वि.प.रि तैयार की जा चुकी है और अगले 3 से 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार किसी अन्य लिंक सहित इन तीन लिंकों का कार्यान्वयन किया जा सकता है। विशेष सचिव (ज.सं., न.वि और गं.सं.मं) ने नीति आयोग से केन-बेतवा लिंक, दमनगंगा-पिंजल लिंक और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के लाभ एवं लागत विश्लेषण के कार्य के संबंध में सहायता की प्रार्थना की।

विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि नदी ग्रिड के दिशा-निर्देशिका की तैयारी में नीति आयोग ज.सं., न.वि और गं.सं.मं और न.के.अं.-का.ब के सहयोग से काम करेगा।

मुद्दा संख्या 2.5: न.के.अं. की परियोजनाओं के कारण इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए मॉडल पुनर्वास एवं पुनःस्थापना (पु एवं पु) पैकेज

एजेंडा में दिए गए जानकारियों का सन्दर्भ देते हुए रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि जल संसाधनों के किसी अन्य परियोजना के समान न.के.अं. की परियोजनाओं के कारण इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए पु एवं पु योजना भी आवश्यक है। उन्होंने उल्लेख किया कि इन परियोजनाओं में एक से अधिक राज्य शामिल हैं और अतः सभी संबंधी राज्यों से मतैक्यता की आवश्यकता है। पु एवं पु योजना का सूत्रण अनिवार्य है ताकि परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को पुनर्स्थापित कर एक बेहतर स्तरीय जीवन नहीं तो कम से कम जीवन का वर्तमान स्तर प्राप्त करने के लिए उचित क्षतिपूर्ति मिल सके। उसके बाद उन्होंने सदस्यों से न.के.अं. की परियोजना के संबंध में विचार-विमर्श करने और मॉडल पु एवं पु नीति/ पैकेज का सुझाव देना का अनुरोध किया।

डॉ प्रोदिप्तो घोष ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना का पु एवं पु पैकेज परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए देश के सर्वोत्तम पु एवं पु पैकेज में से एक था और परियोजना से प्रभावित लोगों को यथान्याय स्वीकार्य था। उन्होंने सरदार सरोवर परियोजना और कुछ अन्य तुलनीय परियोजनाओं के पु एवं पु पैकेज के उत्तम पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान क्षेत्र से एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि देश भर के भिन्न राज्यों में पु एवं पु पैकेज काफी भिन्न हो सकते हैं। उन्होंने सलाह दिया कि नियुक्त सलाहकार को गत अनुभवों के आधार पर एक मॉडल पु एवं पु पैकेज तैयार करना होगा।

श्री विराग गुप्ता ने कहा कि पु एवं पु योजना के कार्यान्वयन में तीन कानूनी मसले हैं: (i) परियोजना से प्रभावित लोग अपने पैतृक संपत्ति को छोड़ कर नहीं जाना चाहते हैं ; (ii) गुणवत्ता भूमि सहित पर्याप्त भू क्षतिपूर्ति; और (iii) क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में विलंब। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना से प्रभावित लोगों को पु एवं पु पैकेज प्रदान करने के लिए समय-समय पर दिशा-निदेश ज़ारी किया है।

कार्यबल के अध्यक्ष ने बताया कि गुजरात सरकार ने वर्ष 1998 से अब तक की चार पु एवं पु मामलों को संभाला है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार से सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 1998 से अब तक के सभी कार्यवाहियों/ निर्देश प्राप्त किया जा सकता है और न.के.अं. की परियोजना की पु एवं पु नीति तैयार करने से पूर्व उनका अध्ययन किया जा सकता है।

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अलग-अलग परियोजनाओं में पुनर्वासन उपायों के सर्वोत्तम नीतियों का अध्ययन भिन्न हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले में टीएचडीसी से भी सलाह लिया जा सकता है।

डॉ प्रोदिप्तो घोष ने दर्शाया कि न.के.अं. की परियोजनाओं का लाभ दीर्घकालिक होगा और उन्होंने सुझाव दिया कि उचित अंतर-पीढ़ी छूट को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का वित्तीय विश्लेषण और लागत-लाभ विश्लेषण निष्पादित किया जाए और उसके बाद तदनुसार परियोजना से प्रभावित लोगों को राजी करवाया जाए। न.के.अं. के कार्यक्रम ने भारत और

विदेशों के अशासकीय संस्था के काफी सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और अतः न.के.अं. की परियोजनाओं के लिए एक सुदृढ़ पर्यावरणीय औचित्य आवश्यक है। उन्होंने यह अवलोकन किया कि न.के.अं. की परियोजना हमारे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है क्योंकि न.के.अं. की परियोजनाएं सूखे और जल अधिशेष स्थितियों दोनों को संबोधित कर रही हैं।

विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के बाद निम्न विषयों पर उप-समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया (a) सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण; (b) पु एवं पु के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निदेशों सहित इससे संबंधित भिन्न मुद्दे और (c) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के लिए न.के.अं. की परियोजनाएं।

मुद्दा संख्या 2.6: केन-बेतवा लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने कार्यबल को केन-बेतवा लिंक परियोजना, चरण I के संबंध में प्राप्त किए जाने वाली मंजूरियों में प्रगति के बारे में अवगत करवाया। 24.8.2015 और 26.10.2015 को आयोजित प.व.ज.प.मं के 86 वीं और 88 वीं बैठक के दौरान विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस परियोजना पर विचार किया। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान पर विचार करने के लिए समिति ने राज्य वन्य जीवन मंडल द्वारा इस परियोजना की वन्य जीवन मंजूरी प्राप्ति की माँग की। यह सूचित किया गया कि इस परियोजना की वन्य जीवन मंजूरी प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (रा.व.जी.मं) से इस परियोजना की सिफारिश की है। सदस्यों ने एजेंडा नोट्स में प्रदत्त पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंजूरी की स्थिति से संबंधित विवरणों को नोट किया।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक के यह भी सूचित किया कि दक्ष प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्ति हेतु ज.सं, न.वि और गं.सं.मं के समक्ष केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (के.बे.लि.प.प्रा) के संस्थापन का मसौदा प्रस्ताव जमा किया गया है। इस परियोजना के निष्पादन एवं संचालन के लिए के. बी.एल.ली.ए. एक विशेष उद्देश्य वाहन के रूप में प्रस्तावित है। इस प्रस्तावना में एक शासी निकाय और एक निगम का प्रस्ताव है और मंत्रालय इसका परीक्षण कर रहा है। इसी बीच, विशेष सचिव (ज.सं, न.वि और गं.सं.मं) द्वारा प्रधान सचिव, ज.सं.वि, मध्य प्रदेश सरकार को भी यह प्रस्ताव भेजा गया ताकि वे इस पर अपनी टिप्पणी दे सके। प्रधान सचिव, ज.सं.वि, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि क्योंकि इस परियोजना से संबंधित हर निर्माण-कार्य, पुनर्वासन और विकास कार्य मध्य प्रदेश में होना है और उत्तर प्रदेश में केवल कुछ सीमित कार्य ही होना है, अतः परियोजना के निष्पादन हेतु वे किसी बहु-पक्षीय प्राधिकरण के पक्ष में नहीं थे। प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश ने सूचित किया कि परियोजना के कार्यान्वयन का सम्पूर्ण कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना अधिमान्य है।

डॉ प्रोदिप्तो ने राय दिया कि परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए दो पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, वित्त पोषण एवं संस्थागत रूपरेखा।

श्री ए.डी मोहिले के अवलोकन अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन में दोनों राज्यों को अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। उन्होंने बताया कि एक मुख्य प्राधिकरण होना चाहिए और फिर इसके निष्पादन हेतु भिन्न मॉडल पर विचार किया जा सकता है। इस प्राधिकरण को कानूनी समर्थन होना चाहिए। प्राधिकरण के पास अपना कोष होना चाहिए जो सहयोगी राज्यों के मूलपूंजी कोष से अलग होना चाहिए ताकि अप्रयुक्त निधि रद्द न हो जाए और राज्यों से अल्प विधायी निधि मंजूरी की आवश्यकता हो।

विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रासंगिक पहलुओं के अध्ययन के लिए एक उप-समूह स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद, उप-समूह को इस संबंध में कार्यबल के समक्ष प्रस्तुतीकरण पेश करना होगा।

मुद्दा संख्या 2.7: दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि मार्च, 2014 में रा.ज.वि.अ. ने दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली थी और के.ज.आ में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। जल, जल विद्युत और लागत के साझे के मुद्दों पर रा.ज.वि.अ. द्वारा महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के साथ सरकारी स्तर पर चर्चा की जा रही है। दोनों राज्यों ने जल उपलब्धता अध्ययन को स्वीकार किया है। कार्य बल के सदस्यों ने एजेंडा नोट्स में प्रदत्त परियोजना से संबंधित तथा गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के नज़रिए से संबंधित अतिरिक्त जानकारियों को नोट किया।

डॉ प्रोदिप्तो घोष के अवलोकन अनुसार यदि एक यथार्थ समय-सीमा के भीतर जल साझा से संबंधित मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो इसका समाधान राजनैतिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता होगी। श्री ए.डी मोहिले ने उल्लेख किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक और पार-तापी-नर्मदा लिंक, दोनों परियोजनाओं पर एक साथ काम करना एक उत्तम पद्धति है। उन्होंने सुझाव दिया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अलग से बनाए जाने वाले पिंजल बाँध को भी शामिल किया जा सकता है।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि माननीय मंत्री (ज.सं, न.वि और गं.सं) ने पहले ही कहा है कि वे दोनों परियोजनाओं, अर्थात दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों से मुलाकात कर सकती हैं।

मुद्दा संख्या 2.8: पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि रा.ज.वि.अ. ने पार-तापी-नर्मदा लिंक की वि.प.रि पूरी कर ली है अगस्त, 2015 में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों सरकारों को यह जमा भी कर दिया है। जल, जल विद्युत और लागतों के साझे के मुद्दों पर रा.ज.वि.अ. द्वारा महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के साथ सरकारी स्तर पर चर्चा की जा रही है। दोनों राज्यों ने जल उपलब्धता अध्ययन को स्वीकार किया है। कार्य बल के सदस्यों ने एजेंडा नोट्स में प्रदत्त परियोजना से संबंधित तथा गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के नज़रिए से संबंधित अतिरिक्त जानकारियों को नोट किया।

डॉ प्रोदिप्तो घोष के अवलोकन अनुसार यदि एक यथार्थ समय-सीमा के भीतर जल साझा से संबंधित मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो इसका समाधान राजनैतिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता होगी।

श्री ए.डी मोहिले के अवलोकन अनुसार महाराष्ट्र राज्यक्षेत्र में आवास क्षेत्र के स्थलाकृति के कारण जल का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है और यह जल अप्रयुक्त हीं समुद्र में जा कर मिलता है और अतः महाराष्ट्र सरकार को पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के माध्यम से यह अप्रयुक्त जल गुजरात राज्यक्षेत्र में अंतरण की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। जल साझा मुद्दे के समाधान के साधन रूप में उन्होंने आयंगर समिति के रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी समितियों के निर्णय का यदि उचित समय के भीतर विरोध नहीं किया जाता है और अनुवर्ती प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया गया है, तो यह निर्णय प्रवर्तनीय हो सकता है, फिर चाहे भले ही यह अंतर-राज्य सहमति का मामला हो। अध्यक्ष ने इस बारे में कोई निश्चित राय बनाने से पहले सर्वप्रथम इसके कानूनी पवित्रता / वैधता की पुष्टि करने की सलाह दी। के.ज.आ के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में गुजरात राज्य द्वारा उकाई बाँध पर प्रति वर्ष तापी का कुल 5200 मि.घ.मी जल उपयोग किया जा रहा है और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना से कुछ मात्रा में जल उचित ऊंचाई तक लिफ्ट कर महाराष्ट्र को दिया जा सकता है।

विशेष सचिव (ज.सं, न.वि और गं.सं) ने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र सरकार के नज़रिए पर कार्यबल द्वारा उचित विचार किया जाना चाहिए कि जब तक महाराष्ट्र के लिए तापी जलाशय में जल की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती, तब तक यह राज्य पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के लिए महाराष्ट्र के आवास क्षेत्र से गुजरात को जल प्रदान करने के प्रति सहमति प्रदान नहीं करेगा।

कार्यबल के अध्यक्ष ने कहा कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दोनों राज्यों के मध्य के मसलों को सुलझाया जाना होगा।

मुद्दा संख्या 2.9: महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि प्रस्तावित मणिभद्र जलकुंड का जलमग्न क्षेत्र लगभग 59,400 हेक्टेयर है, जो ओडिशा सरकार के लिए चिंता का विषय था। न्यूनतम जलमग्न क्षेत्र और तुलनीय लाभों को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ. ने इस लिंक का प्राथमिक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया है। वैकल्पिक प्रस्ताव में बरमूल में महानदी पर एक बाँध, तेल उप-जलाशय में छह जलकुंडों, प्रस्तावित बरमूल बाँध से आरंभ महानदी-गोदावरी लिंक और ओडिशा राज्य की महानदी (बरमूल)-ऋषिकुल्या और वसुंधरा – ऋषिकुल्या (नंदिनी नाला परियोजना) अंतः-राज्य परियोजना की परिकल्पना है। 13 जुलाई, 2015 को न.के.अं. के विशेष समिति के 5 वीं बैठक के दौरान प्रधान सचिव, ज.सं.वि, ओडिशा सरकार ने महानदी जलाशय में जल संतुलन का मुद्दा उठाया था और यह अवलोकन किया कि उनके आंकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक महानदी जलाशय में कोई अधिशेष जल शेष नहीं रह जाएगा। सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययनों के लिए गठित उप-समिति के चौथे, पाँचवें और छठे बैठक में महानदी जलाशय के जल संतुलन मुद्दे पर चर्चा किया गया था और उप-समिति ने निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (रा.ज.सं) द्वारा महानदी-गोदावरी लिंक के जल संतुलन अध्ययन सहित तंत्र अनुकरण अध्ययन निष्पादित किया जाएगा। रा.ज.सं द्वारा तीन महीने की अवधि के भीतर ये अध्ययन कार्य पूरा किया जाना है।

सदस्यों के राय में रा.ज.सं द्वारा महानदी-गोदावरी लिंक का अनुकरण/ जल संतुलन अध्ययन एक समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रणाली अध्ययनों के उप-समिति द्वारा तय किया गया है।

कार्यबल के अध्यक्ष ने बताया कि न.के.अं. की परियोजना माँग प्रबंधन पर आधारित होना चाहिए और न कि आपूर्ति प्रबंधन पर और अतः सिंचाई उपयोग, औद्योगिक उपयोग इत्यादि से संबंधित आंकड़े को एकत्रित कर इन्हें अनुरूपण अध्ययनों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि रा.ज.सं द्वारा अनुकरण/ जल संतुलन अध्ययन पूरा किए जाने के पश्चात और रिपोर्ट उपलब्ध होने पर कार्यबल महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के मुद्दे पर विचार करेगा।

मुद्दा संख्या 2.10: मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि फरक्का में गंगा के प्रवाह को संवर्धित करने के लिए मध्यवर्ती छोटी नदियों से अनुपूरण से मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक में मानस तथा संकोष नदियों में उपलब्ध अधिशेष जल के पथांतरण और जल अभाव ग्रस्त कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडार नदियों के जलाशय में जल उपयोग हेतु आगे दक्षिण में जल पथांतरण के लिए महानदी जलाशय में 13965 मि.घ.मी (मार्ग में जल उपयोगों के बाद) जल उपलब्ध कारवाने की परिकल्पना है। 28 जुलाई, 2015 को आयोजित सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययनों के लिए गठित उप-समिति की पाँचवीं बैठक में मानस-संकोष-गंगा-तिस्ता लिंक पर चर्चा किया गया था। रा.ज.वि.अ. में मानस-

संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक की पूर्वसम्भावित रिपोर्ट की तैयारी जारी है और यह दिसंबर, 2015 तक समाप्त हो जाने की आशा है।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने इसके अलावा यह भी सूचित किया कि विशेष सचिव (ज.सं., न.वि और गं.सं) के नेतृत्व के तहत ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल, जिसमे रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक तथा अन्य अधिकारी शामिल थे ने 17 अगस्त, 2015 को संकोष-महानदी लिंक प्रणाली के संबंध में कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के साथ एक मुलाक़ात की थी। दल ने पश्चिम बंगाल सरकार से रा.ज.वि.अ. द्वारा वि.प.रि तैयारी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार से इस प्रस्ताव में सुधार हेतु सुझाव/ अवलोकन प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से उत्तर मिलने की प्रतीक्षा है।

विशेष सचिव (ज.सं., न.वि और गं.सं) ने बताया कि संकोष-तिस्ता-गंगा-महानदी लिंक प्रणाली के संबंध में, पश्चिम बंगाल सरकार इस लिंक परियोजना के कार्यान्वयन से प्रभावित हो सकने वाले लोगों की संख्या के बारे में सवाल पूछ रही थी। उन्होंने सुझाव दिया की पु एवं पु के मुद्दे पर प्रायोगिक दिशा-निदेशों के विकास के लिए कार्यबल अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकती है।

डॉ प्रोदिप्तो घोष बांग्लादेश में जल उपलब्धता पर इस लिंक के प्रभाव के बारे में जानना चाहते थे। रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि 43 बि.घ.मी जल के पथांतरण का प्रस्ताव है, जो ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह (537 बि.घ.मी) का लगभग 8% है। यह पथांतरण ख़ास तौर पर बाढ़ के मौसम में होगा। अतः, इससे बांग्लादेश को प्रवाहित जल में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष के अवलोकन अनुसार क्योंकि मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक में ब्रह्मपुत्र के उप-नदियों के जल के पथांतरण की परिकल्पना है और आखिर में जो बांग्लादेश में जाएगा, अतः लिंक परियोजना की योजना बनाते समय पड़ोसी देश के चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि उचित समय पर बांग्लादेश को भी इस परियोजना के बारे में राजी कराना होगा।

यह निर्णय लिया गया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्वसम्भावित रिपोर्ट पूरा किए जाने के बाद कार्यबल इस लिंक परियोजना पर चर्चा करेगा।

मुद्दा संख्या 2.11: गोदावरी-कृष्णा लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि महानदी-गोदावरी नदियों के अधिशेष जल को कृष्णा जलाशय में पथांतरण करने का प्रस्ताव है ताकि जल न्युन वाले कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडार नदियों के जलाशय में इस अधिशेष जल का उपयोग किया जा सके। महानदी-गोदावरी के अधिशेष जल को कृष्णा जलाशय में दिक्परिवर्तित करने के लिए तीन लिंक परियोजनाओं, अर्थात (i) गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, (ii) गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिछिन्तला) लिंक, और (iii) गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक प्रस्तावित है।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने यह भी बताया कि 28 जुलाई, 2015 को आयोजित सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययनों के लिए गठित उप-समिति की पाँचवीं बैठक में इस लिंक प्रस्ताव पर चर्चा किया गया था। उप-समिति ने कहा कि रा.ज.वि.अ. ने वर्ष 2005, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से पूर्व में हीं गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक और गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिछिन्तला) लिंक की पूर्वसम्भावित रिपोर्ट पूरी कर ली थी। फिलहाल रा.ज.वि.अ. उपलब्ध आधुनिक आंकड़ों के मदद से और तेलंगाना राज्य के दृष्टिकोण को

ध्यान में रखते हुए गोदावरी जलाशय के जल संतुलन अध्ययन की समीक्षा कर रहा है। नवम्बर, 2015 के अंत तक यह अध्ययन पूरी हो जाने की आशा है। उसके बाद, प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति द्वारा गोदावरी-कृष्णा लिंक परियोजना का अगला परीक्षण किया जाएगा।

सदस्यों ने उपर्युक्त व्याख्यान अनुसार गोदावरी-कृष्णा लिंक की स्थिति नोट किया था।

कार्यबल के अध्यक्ष ने सलाह दिया कि सूचित सारणी अनुसार गोदावरी जलाशय का जल संतुलन अध्ययन पूरा हो जाना चाहिए ताकि इस लिंक परियोजना के संबंध में अतिरिक्त विषयों पर विचार किया जा सके।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए यह बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक I

5.11.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम के कार्यबल की द्वितीय बैठक के सहभागियों की सूची

1. श्री बी.एन. नवलावाला — अध्यक्ष
   मुख्य सलाहकार,
   ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय

2. डॉ अमरजीत सिंह — सदस्य
   विशेष सचिव,
   ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय

3. डॉ प्रोदिप्तो घोष — सदस्य
   प.व.ज.प.मंत्रालय,
   प्रसिद्ध सदस्य, ऊ.सं.सं

4. श्री ए.बी. पंड्या — सदस्य
   अध्यक्ष,
   केन्द्रीय जल आयोग

5. श्री जगमोहन गुप्ता — सदस्य
   सं.स एवं ऍफ़ए,
   ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय

6. श्री ए.डी मोहिले — सदस्य
   पूर्व अध्यक्ष,
   केन्द्रीय जल आयोग

7. श्री विराग गुप्ता — सदस्य

वकील,
सुप्रीम कोर्ट

8. श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य-सचिव
महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.

योजना आयोग के अधिकारी

9. श्री जीतेन्द्र कुमार
सलाहकार,
नीति आयोग

10. श्री अविनाश मिश्रा
संयुक्त सलाहकार (ज.सं/प एवं व)
नीति आयोग

रा.ज.वि.अ. के अधिकारी

11. श्री एम.के श्रीनिवास
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
रा.ज.वि.अ., हैदराबाद

12. श्री एच.एन. दिक्षित,
मुख्य अभियंता (उत्तर),
रा.ज.वि.अ., लखनऊ

13. श्री आर.के जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

14. श्री एन.सी जैन,
निदेशक (तक),
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

15. श्री के.पी गुप्ता,
अधीक्षण अभियंता,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

16. श्री ओ.पी.एस कुशवाह,

अधीक्षण अभियंता,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

17. श्री एम.एस अग्रवाल,
वरिष्ठ सलाहकार,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली